THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). It has been reported that a group of people demonstrated at the offices of the 'Deccan Herald' and Indian Express' in Bangalore on the evening of 22nd September, 1980 to protest against a news item published in these papers about an incident involving the Chief Minister of Karnataka. The police authorities were able to persuade the demonstrators to disperse peacefully on the morning of 23rd September, 1980. The demonstration and the reluctance of the management of the papers to meet the demonstrators caused delay in the publication of the papers of these groups namely, Deccan Herald, Prajavani, Indian Express and Kannada Prabha by a few hours. Following ten persons pleaded guilty and were sentenced to fine of Rs. 150/- each and in default to 15 days imprisonment; all the accused paid the fine and the case was disposed of;

Shri D. Sridhar, P. C. Tilaram, M. Dubey, Peter Shantharaj, S. Sardar, D. N. Anathamurthy, R. B. Harish, G. Shivanna, C. Jagannatha Achar and Venkatesh.

Two journalists *viz.* Shri P. K. Jain and J. D. Sharma were arrested by the State Government of U.P. for inflammatory writings and exaggerated reporting on 7th September, 1980 under Section 15-A of Indian Penal Code and were subsequently detained under Uttar Pradesh Samaj Virodhi Tatva Nivaran Adhyadesh, 1980. on the same day. Their detention orders under the said Ordinance has been revoked by the State Government on 16-9-80. Shri P.K. Jain was granted bail on 22.9.80 and was released on the same day. Shri J. D. Sharma was granted bail on 4.10.80 and was released on 6.10.80.

Shri Chokalingam, owner of Syndicate Press, Madras was arrested by the State Government on 29.8.80 for printing seditious matters. Shri Shanmugam alias Gorki, Madras was arrested on 23-9-80 for possing literature of seditious nature and also some pronography books and for having been found drunk and in possession of liquor.

Commissioner of Agra Division is alleged to have remarked at an informal meeting of the local press about an irresponsible report put out by a news agency from Aligarh that 400 homeguards had not reported for duty during recent disturbances and he allegedly warned them against putting out unconfirmed reports. The Chief Minister of Uttar Pradesh later denied on the floor of the State Vidhan Sabha that the Commissioner of Agra Division had misbehaved with pressmen.

Press in India enjoys full freedom in its functioning. However, the Press as well as the journalists are as much responsible as ordinary citizens who are subject to the law of the land. Their responsibility becomes even greater when their writings or reports concern the question of national security and communal or inter-caste harmony. It has been noticed that there is a tendency in certain small sections of the Press to indulge in sensationalism and exaggeration without considering its detrimental consequences on national integrity and communal harmony. It is expected that the Members of the Fourth Estate will give due consinderation to this aspect in the national interest.

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

4056. श्री डूमर लाल बैठा : पेट्रोलियम, रासायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि० के प्रधान कार्यालय में तृतीय तथा चतुर्थ

श्रेणी और मस्टर रौल पर लगे निम्न श्रेणी लिपिकों की वर्ग-वार संख्या कितनी है और क्या इन पदों पर नियुक्तियां रोजगार कार्यालय से नामों को मंगवा कर की गई है; और

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में मस्टर रौल पर की जाने वाली नियुक्तियों के लिए नामों का प्रस्ताव करने वाला अलग रोजगार कार्यालय है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के केन्द्रीय कार्यालय में 2 मस्टर रौल कर्मचारी हैं । एक को नौकरी पर कर्मचारी की मृत्यु के कारण रोजगार सहायता देने हेतु निगम की योजना के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है । स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से हिन्दी आशुलिपिक की भर्ती निलम्बित होने के कारण अन्य मस्टर रौल कर्मचारी को सरकारी काम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अस्थाई आधार पर हिन्दी टंकण के रूप में लगाया गया है ।

(ख) जी, हां ।

भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन

4057. श्री डूमर लाल बैठा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978 में भारतीय उर्वरक निगम पांच कम्पनियों में विभाजित किया गया था और उस समय भारतीय उर्वारक निगम के मुख्य कार्यालय तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के कार्यालय को पटना में ले जाने का निर्णय भी किया गया था जिसके लिए 75 लाख रुपये की राशि भी मंजूर की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यालयों को अभी तक पटना न ले जाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त 75 लाख रुपये की राशि कुछ अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत खर्च की जा रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग). फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का पुनर्गठन 1-4-1978 से पांच कम्पनियों के रूप में किया गय था, अर्थात् राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बम्बई में है । फर्टिलाइजर (योजना और विकास) इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय सिन्दरी में है, और नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० तथा फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं । मार्च, 1979 में अस्थाई तौर पर यह निर्णय किया गया था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० का मुख्यालय कलकत्ता में और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० का मुख्यालय बिहार में किसी उपयुक्त स्थान पर भेजा जाएगा । इस स्थानान्तरण के खिलाफ सरकार द्वारा प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों पर विचार किए जाने तक दोनों कारपोरेशनों को यह सलाह दी गई थी कि वे इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय इकरारनामा न करें । मुख्यालय को बदलने के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० ने वर्ष 1979-80 के संशोधित अनुमानों में 25 लाख रुपये और वर्ष 1980-81 के बजट अनुमानों में 25 लाख रुपये की व्यवस्था की थी । इन प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया है । फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के मुख्यालय